रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 1993/चैत्र 23, 1915
No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 1993/CHAITRA 23, 1915

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1993

का.नि.आ. 7(अ):—(1). युद्ध विरहित, युद्ध निःशक्त और अन्य भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत कार्मिकों के लिए समामेलित विशेष निधि, (2) झंडा दिवस निधि, (3) सेंट डनस्टन्स (इंडिया) और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड निधि, और (4) भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि पूर्त विन्यास, अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 124 और 125, तारीख 1 अप्रैल, 1988, का.नि.आ. 199, तारीख 20 जुलाई, 1962 और का.नि.आ. 180, तारीख 18 मई, 1963 द्वारा पूर्त विन्यास के कोषपाल में विहित हुई थी।

2. और पूर्वोक्त निधियों की प्रबंध समितियों ने उपरोक्त निधियों के "सशस्त्र बल झंडा दिवस" निधि में समामेलन के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा परिनिर्धारण के लिए एक पुनरीक्षित स्कीम प्रस्तुत की है।

3. और केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय ने उनकी प्रार्थना पर विचार किया है और पुनरीक्षित स्कीम की जांच की है।

4. अतः केन्द्रीय सरकार पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसमें समाविष्ट और पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित की गई संपत्ति के प्रशासन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की सहमति से, उस स्कीम का परिनिर्धारण करती है और स्कीम के पैरा 6 में वर्णित व्यक्तियों को निम्नलिखित रूप में निधि का प्रशासन करने के लिए नियुक्त करती है:—

समामेलित निधियां इसके बाद से "सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि" के रूप में समझी जाएंगी।

5. और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उक्त स्कीम 15 अप्रैल, 1993 को प्रवृत्त होगी।

[र.म.सं. 5(1)/92-रक्षा (पुनर्स्थापना)]
आर.के. कालिया, अवर सचिव

स्कीम

संक्षिप्त नाम :—स्कीम का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि के प्रशासन की स्कीम होगा। "सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि" के अधीन समामेलित निधियां इस प्रकार हैं :—

(क) युद्ध विरहित, युद्ध निःशक्त और अन्य भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत कार्मिकों के लिए समामेलित विशेष निधि।

(ख) झंडा दिवस निधि।

(ग) सेंट डनस्टन्स (इंडिया) और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड निधि।

(घ) भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि।

समामेलन के पश्चात विद्यमान निधियां अस्तित्व में नहीं रहेंगीं।

1. परिभाषाएं :—इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अंधा हुआ व्यक्ति" से ऐसा सेवारत कार्मिक तथा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो युद्ध में या युद्ध जैसी संक्रियाओं के फलस्वरूप अंधा हुआ हो और जहां दृष्टि का इतना ह्रास हुआ हो कि विशेष सावधानी और प्रशिक्षण अपेक्षित है और ऐसे सभी मामले जिनमें खतरे के कारण के बने रहने तक दृष्टि को खतरा है। इस पद के अन्तर्गत ऐसे सेवारत कार्मिक भी हैं जो शांति के समय अंधे हुए हों, जहां अंधेपन का संबंध सेवा से है। परन्तु अतिरिक्त पेंशन के संदाय के प्रयोजन के लिए इस पद के अंतर्गत केवल ऐसे अंधे हुए व्यक्ति आएंगे जो रक्षा सेवा प्राक्कलनों में निःशक्तता पेंशन प्राप्त करते हैं।

(ख) "आश्रित" से अभिप्रेत भूतपूर्व सैनिक पर वस्तुतः आश्रित उसकी पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के ऐसे पुत्र जिनकी कोई आमदनी नहीं है, अविवाहित या विधवा पुत्रियां, 21 वर्ष से कम आयु के ऐसे भाई जिनकी कोई आमदनी नहीं है, ऐसी अविवाहिता बहनें जिनकी कोई आमदनी नहीं है और माता-पिता जिनकी कोई आमदनी नहीं है :

परन्तु ऐसे पुत्र या भाई की दशा में, जिनकी कोई आमदनी नहीं है, 31 वर्ष की आयु को 25 वर्ष तक शिथिल किया जा सकेगा यदि ऐसा पुत्र/भाई कोई स्नातकोत्तर या तकनीकी पाठ्यक्रम कर रहा है जो कि विनिर्दिष्ट आयु के भीतर पूरा नहीं हो सकता।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित परिभाषा के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति अर्जित की है, केवल भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र धारक ही स्कीम के अधीन फायदे के लिए पात्र होंगे।

(घ) "भूतपूर्व सैनिक अधिकारी" से सेना में कनिष्ठ आयुक्त आफिसर या नौसेना में मास्टर चीफ पेटी आफिसर, चीफ पेटी आफिसर/पेटी अधिकारी या वायुसेना में मास्टर वारंट आफिसर, वारंट आफिसर से भिन्न ऐसा आयुक्त आफिसर अभिप्रेत है जिसने भारतीय सशस्त्र बलों में उस रूप में सेवा की है।

(ङ) "निधि" से सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि अभिप्रेत है।

(च) "गोरखा भूतपूर्व सैनिक" से ऐसे गोरखा अभिप्रेत है जिसने भारतीय सशस्त्र बल में योद्धक या अयोद्धक के रूप में किसी रैंक में सेवा की है और जो अस्थायी रूप में भारत में निवासी है।

(छ) "वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

2. निधि के उद्देश्य :—निधि के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों के नियोजन, स्वयं नियोजन या प्रशिक्षण के संवर्धन के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत किसी स्कीम के लिए व्यय की मंजूरी,

(ख) भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों को राहत देने के लिए आशयित प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत चिकित्सीय उपचार कल्याण और पुनर्वास है उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देना,

(ग) संस्थाओं/संगठनों को बनाए रखने में सहायता करना और भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, ऐसी संस्थाओं के निवासियों पर कोई व्यय,

(घ) सभी ऐसी अन्य विधिपूर्ण बातें करना जो निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक या सहायक हो।

3. निधि की आस्तियां :—(क) निधि की आस्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :—

(1) समामेलन की तारीख पर इसमें समामेलित निधियों के अतिशेष,

(2) राष्ट्रीय रक्षा निधि से या केन्द्रीय सरकार से निधि में अभिदाय,

(3) पब्लिक या प्राइवेट संगठनों या जनता के सदस्यों से संदान,

•(4) राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त अभिदाय

(5) वस्तु रूप में कोई अन्य संदान

(6) प्राइवेट संगठनों से या जनता के सदस्यों से स्वैच्छिक विन्यास,

(7) निधि की आस्तियों से आय,

(8) इसमें समामेलित कुल निधियों के नाम में प्रतिभूमियों/अन्य निक्षेपों के रूप में किए गए विनिधानों के ब्याज और मूलधन के आगम।

(ख) इस स्कीम के अधीन समामेलित कल्याण निधियों के 10 मार्च, 1993 को अतिशेष निम्नलिखित रूप में है:—

(1) युद्ध विरहित, युद्ध निःशक्त और अन्य भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत कार्मिकों के लिए समामेलित विशेष निधि

		रु.
(कक)	बचत खाते में अतिशेष	70,42,825.23
(कख)	बैंकों में नियतकालिक निक्षेप	4,15,00,000.00
(कग)	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पास निक्षेप	17,58,00,000.00
(कघ)	भारतीय लघु उद्योग बैंक के पास परिक्रामी निधि	9,50,00,000.00
(कङ)	ऋण और उधार	1,29,34,634.00
(कच)	नियत आस्तियों का मूल्य	7,495.05
(कछ)	चालू दायित्वों को घटाएं	28,21,951.30
	योग	32,95,63,002.93

(2) झंडा दिवस निधि

		रु.
(कक)	बचत बैंक खाते में अतिशेष	49,591.35
(कख)	बैंकों के पास नियतकालिक निक्षेप	1,03,00,000.00
(कग)	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पास निक्षेप	2,97,00,000.00
(कघ)	हाथ में धनराशि	3,866.65
(कङ)	नियत आस्तियों का मूल्य	1,09,035.23
	योग	4,01,62,493.28

(3) सेंट डनस्टन्स (इंडिया) और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड निधि

(कक)	बचत बैंक खाते में अतिशेष	5,13,283.44
(कख)	बैंकों के पास नियतकालिक निक्षेप	52,00,000.00
(कग)	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पास निक्षेप	1,55,00,000.00
(कघ)	सरकारी प्रतिभूतियां	15,000.00
(कङ)	हाथ में धनराशि	2,094.82
(कच)	नियत आस्तियों का मूल्य	1,537.23
(कछ)	चालू दायित्वों को घटाएं	1,500.00
	योग	2,12,30,465.39

(4) भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि

(कक)	बचत बैंक खाते में अतिशेष	74,083.79
(कख)	बैंकों के पास नियतकालिक निक्षेप	8,00,000.00
(कग)	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पास निक्षेप	23,00,000.00
	योग	31,74,083.79

4. आस्तियों का निहित होना

निधि की आस्तियां भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 1/28/80–टी सी ई तारीख 25 फरवरी, 1981 के साथ पठित पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 की धारा 4 के अनुसार स्कीम के अधीन भारत के पूर्व विन्यास कोषपाल में निहित हो सकेगी।

5. निधि का प्रबंध

भारत का पूर्व विन्यास कोषपाल निधि के प्रबंध या प्रशासन में कार्य नहीं करेगा किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अधीन, प्रबंध और प्रशासन प्रबंध समिति में निहित किया जाएगा।

6. प्रबंध समिति

निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए एक निबंध समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

अध्यक्ष—रक्षा मंत्री

उपाध्यक्ष—रक्षा राज्य मंत्री

सदस्य—1. रक्षा सचिव

2. सेनाध्यक्ष

3. नौसेनाध्यक्ष

4. वायुसेनाध्यक्ष

5. वित्तीय सलाहकार (डी एस)

6. अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय

7. डी जी ए एफ एम एस

8. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

9. पुनः स्थापन, महानिदेशक

10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगम, देहरादून

11. कमांडर, देहरादून उपक्षेत्र

12. तीन भूतपूर्व सैनिक अधिकारी (प्रत्येक सेवा से एक) जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जायेंगे।

13. एक महिला सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी।

विशेष—निम्नलिखित के प्रतिनिधि :

आमंत्रित

1. फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री

2. भारतीय रेडक्रास सोसइटी ;

3. स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक

4. नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशक ।

5. सचिव, कल्याण ।
सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

8. सदस्यता की पदावधि

(क) जब कोई व्यक्ति उस पद या नियुक्ति के आधार पर, जिसे वह धारण करता है, प्रबंध समिति का सदस्य बन जाता है तब उसकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएगी जब वह ऐसा पद या नियुक्ति धारण नहीं करता है ।

(ख) खंड (क) के अधीन रहते हुए, प्रबंध समिति के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष वर्ष होगी, परन्तु वह सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(ग) प्रबंध समिति का सदस्य उस दशा में ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि वह पद त्यागता है, विकृत चित, दिवालिया हो जाता है, ऐसे दाण्डिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है जिसमें नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है या अपने वर्तमान पद से, जिसके आधार पर उसें इस प्रकार नियुक्त किया गया था, अन्तरित कर दिया जाता है ।

(घ) सदस्यता का त्यागपत्र प्रबंध समिति अध्यक्ष को दिया जाएगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए, और

(ङ) उपर वर्णित किसी भी कारण से या मृत्यु द्वारा प्रबंध समिति में होने वाली कोई रिक्ति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन से भरी जाएगी।

8. निधि का उपयोग

प्रबंध समिति के लिए निधि में से धन का व्यय उपर वर्णित निधि के उद्देश्यों के लिए करना विधिपूर्ण होगा।

9. निधि का लागू होना

पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के उपबंधो के अधीन रहते हुए प्रबंध समिति को निधि का नियंत्रण और प्रशासन करने की तथा उसे या उसके किसी भाग को, जो वह निधि के उद्देश्यों का ध्यान रखते हुए आवश्यक समझे, विनिहित करने की शक्ति होगी ।

10. कारबार का संचालन

(1) प्रबंध समिति कारबार के संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगी और अपने अधिवेशनों और कार्यवाहियों को स्थगित और अन्यथा विनियमित कर सकेगी, जैसा कि उक्त समिति द्वारा विरचित उपविधियों द्वारा अवधारित किया जाए,

(2) प्रबंध समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीन सदस्यों की होगी और प्रबंध समिति का अधिवेशन, जहां गणपूर्ति उपस्थित है, उक्त समिति के सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगी,

(3) अधिवेशन की अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यदि किसी अधिवेशन मे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो उसकी अध्यक्षता अधिवेशन में निर्वाचित शासकीय सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(4) प्रत्येक विषय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किया जाएगा,

(5) सदस्य-सचिव को मत देने का अधिकार नहीं होगी, और

(6) मतैक्य होने की दशा में, वह विषय, यथास्थिति समिति या अधिवेशन के अध्यक्ष के निर्णायक मत के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।

11. अधिवेशन की सूचना

(क) सामान्यतया प्रबंध समिति के साधारण अधिवेशन के आयोजन के लिए पंद्रह दिन को सूचना दी जाएगी, और

(ख) तथापि आपत्ति अधिवेशन प्रबंध समिति के अध्यक्ष के विवेकानुसार पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय बुलाया जा सकेगा।

12. उप समिति की नियुक्ति

(क) प्रबंध समिति, अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, अपने सदस्यों में से एक कार्यपालक समिति नियुक्त कर सकेगी ।

(ख) वह अपने सदस्यों या उनके प्रतिनिधियों या ऐसे व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत अशासकीय व्यक्ति भी हैं, जो कि सदस्यों या सलाहकारों के रूप में

सहयोजित किए जाएं, में से एक या अधिक सलाहकार समिति, निधि से सहायता के लिए स्कीमों या अन्य प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए और उन्हें अपनी सिफारिश के साथ प्रबंध समिति को प्रस्तुत करने तथा निधि के प्रशासन के संबंध में अन्य विषयों पर प्रबंध समिति को सलाह देने के लिए भी, नियुक्त कर सकेगी ।

13. संविदाएं

सभी संविदाएं और अन्य आश्वासन प्रबंध समिति के नाम में होंगे और सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

14. प्रबंध समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक के लिए हकदार न होना

प्रबंध समिति के सदस्य किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे ।

15. कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति

ऐसे कर्मचारीवृन्द, जिन्हें प्रबंध समिति आवश्यक समझे, प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनका पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधन प्रबंध समिति द्वारा नियत किए जाएंगे । ऐसे कर्मचारीवृन्द पर होने वाले व्यय की पूर्ति निधि में से की जाएगी ।

16. धन का निक्षेप और विनिधान

निधि को समुचित न्यासी प्रतिभूतियों में या भारतीय स्टेट बैंक में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम में विनिहित किया जाएगा ।

17. लेखाओं का प्रचालन

निधि के लेखाओं का प्रचालन, निधि की प्रबंध समिति की ओर से निधि के सचिव तथा पुनःस्थापन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

18. लेखा और लेखा परीक्षा

(1) निधि की संपूर्ण धनराशि और संपत्तियों का नियमित लेखा रखा जाएगा और उसकी लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंटस की किसी फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षक द्वारा जिसे प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किया जाए, की जाएगी ।

(2) लेखा परीक्षक, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि से व्यय, निधि के विनियमन और प्रबंध के लिए निधि के उद्देश्यों के अनुसार सही तौर पर उपगत किया गया है ।

(3) निधि के वार्षिक लेखाओं की प्रतियां निधि के लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यकतः संवीक्षित और प्रमाणित रूप में प्रबंध समिति को प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाएंगी ।

19. वार्षिक रिपोर्ट

निधि से वित्तपोषित स्कीमों को दर्शित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट, तथा लेखाओं का वार्षिक परीक्षित विवरण निधि की प्रबंध समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु उसके छह माह के अपश्चात निधि के सदस्य साथ सचिव द्वारा दिया जाएगा ।

20. अतिरिक्त विन्यासों की प्राप्ति

प्रबंध समिति निधि की धनराशि और संपत्तियों को बढ़ाने के लिए अथवा निधि के साधारण प्रयोजनों के लिए कोई अतिरिक्त विन्यास संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी । इस स्कीम में सयुक्त किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत नहीं है या उसके सम्यक कार्य कारण बाधा डालने वाला नहीं है, विन्यास, संदान या कोई अभिदाय भी प्राप्त कर सकेगी ।

MINISTRY OF DNFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1993

SRO 7E.—Whereas (i) Amalgamated Special Fund for War Bereaved, War Disabled and other Ex-Servicemen|serving personnel (ii) Flag Day Fund (iii) St. Dunstan's (India) and Kendriya Sainik Board Fund and (iv) Indian Gorkha Ex-Servicemen's Welfare Fund were vested in the Treasurer of the Charitable endowments under section 4 of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890) vide Notification number SRO 124 and 125 dated the 1st April, 1988; SRO-199 dated the 20th July, 1962 and SRO-180 dated the 18th May, 1963.

2. And, whereas, the Managing Committees of the aforesaid Funds have applied to the Central Government for amalgamation of the above said funds into an "Armed Forces Flag Day Fund" and have submitted a revised scheme for settlement by the Central Government.

3. And, whereas. the Central Government, in the Ministry of Defence have considered their request and examined the revised scheme.

4. Now, therefore, the Central Government in exercise of powers vested in it under section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and with the concurrence of the persons making the applications for the administration of the property comprising therein and which have been vested in the Treasurer of the Charitable endowments hereby settle the scheme and appoint the persons mentioned in Paragraph 6 of the scheme to administer the Fund as follows :—

The Amalgamated Funds will henceforth be treated as the "Armed Forces Flag Day Fund".

5. And it is hereby further notified that the said scheme shall come into force on the 15th April, 1993

[No. 5(1)|92|US(WE)D(Res.)]

R. K. KALIA, Under Secy.

SCHEME

Short Title

The Scheme shall be known as the scheme for the administration of the Armed Forces Flag Day Fund. The Funds amalgamated under "Armed Forces Flag Day Fund" are :—

(a) Amalgamated Special Fund for War Bereaved, War Disabled and other Ex-Servicemen|Serving Personnel.

(b) Flag Day Fund.

(c) St. Dunstan's (India) and Kendriya Sainik Board Fund.

(d) Indian Gorkha Ex-Servicemen's Welfare Fund.

After the amalgamation the existing Funds will cease to exist.

1. Definitions.—In this Scheme unless the context otherwise required :—

(a) 'Blinded person' means the Service Personnel and other persons blinded in or as a consequence of war or war like operations and where sight has been so impaired that special care and training is required and all cases in which the sight is endangered so long as the cause of danger continues. This term will also include the Service Personnel blinded in peace where the blindness is attributable to service. Provided that for the purpose of payment of additional pension this term will cover only the blinded person who are in receipt of disability pension from the Defence Services Estimates.

(b) 'dependent' means the wife, non-earning sons below the age of 21 years, unmarried or widowed daughters, non-earning brothers below the age of 21 years, non-earning unmarried sisters and non-earning parents of the Ex-Servicemen actually dependent on him.

Provided that in the case of non-earning son or brother the age of 21 years may be relaxed upto 25 years in case such a son|brother is pursuing a post-graduate or technical course which cannot be completed within the age specified.

(c) 'Ex-Serviceman' means a person who has earned the status of an ex-Serviceman as per the definition is vogue at the time of his retirement. Only ex-Servicemen Identity Card holders would be eligible for the benefit under the Scheme.

(d) 'Ex-Service Officer' means a Commissioned Officer who has served as such in the Indian Armed Forces, other than a Junior Commissioned Officer in the Army or Master Chief Petty Officer|Chief Petty Officer| Petty Officer in the Navy or Master Warrant Officer|Warrant Officer in the Air Force.

(e) 'Fund' means the Armed Forces Flag Day Fund.

(f) 'Gorkha Ex-Servicemen' means a Gorkha who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Indian Armed Forces and has permanently settled in India.

(g) 'the year' means the financial year ending thirty-first day of March.

2. Objects of the Fund.—The objects of the Fund shall be :—

(a) to sanction expenditure for any scheme collective or individual for promoting employment, self-employment or training of Ex-Servicemen, widows and dependents;

(b) to grant financial assistance of any kind to Ex-Servicemen, widows and dependents for the purposes intended to provide for their relief, including medical treatment, welfare and rehabilitation;

(c) to assist institutions|organisations for upkeep and any expenditure on Ex-Servicemen| their dependents, inmates in such institutions;

(d) to do all such other lawful things as are or may be incidental or conducive to the attainment of the objects of the fund.

3. Assets of the Fund.—(a) The assets of the Fund shall include :—

(i) Balance of the Funds amalgamated herein, as on the date of amalgamation;

(ii) Contribution to the Fund from the National Defence Fund or from the Central Government;

(iii) Donations from public or private organisations or members of the public;

(iv) Contributions received from time to time from the State Governments or the Union Territories;

(v) Any other donations in kind;

(vi) Voluntary endowments from private organisations or from members of the public;

(vii) Income from the assets of the fund;

(viii) Proceeds of interest and principal of investment made in the form of security|other deposits in the name of original Funds amalgamated herein.

(b) The balance as on 10th March, 1993 of the Welfare Funds amalgamated under this scheme are as under —

(i) Amalgamated Special Fund for War Bereaved, War Disabled and other Ex-Servicemen|Serving Personnel :

(aa) Balance in Saving Bank Accounts Rs. 70,42,825.23

(ab) Fixed Deposits with Banks Rs. 4,15,00,000.00

(ac) Deposits with Public Sector Undertakings Rs. 17,58,00,000.00

(ad) Revolving fund with Small Industrial Bank of India Rs. 9,50,00,000.00.

(ae) Loans and Advances Rs. 1,29,34,634.00

(af) Value of Fixed Assets Rs. 7,495.05

(ag) Less current liabilities Rs 27,21,951.30

Total Rs. 32,95,63,002.98

(ii) Flag Day Fund

(aa) Balance in Saving Bank Account Rs. 49,591.35

(ab) Fixed Deposits with Banks Rs. 1,03,00,000.00

(ac) Deposits with Public Sector Undertakings Rs. 2,97,00,000.00

(ad) Cash in hand Rs. 3,866.65

(ae) Value of Fixed Assets Rs. 1,09,035.28

Total Rs. 4,01,62,493.28

(iii) St. Dunstan's(1) and Kendriya Sainik Board Fund :

(aa) Balance in saving Bank Account Rs. 5,13,283.44

(ab) Fixed Deposits with Banks Rs. 52,00,000.00

(ac) Deposits with Public Sector Undertakings Rs. 1,55,00,000.00

(ad) Govt. Securities Rs. 15,000.00

(ae) Cash in hand Rs. 2,94.82

(af) Value of fixed Assers Rs. 1,587.23

(ag) Less Current liabilities Rs. 1,500.00

Ttotal Rs. 2,17,39,465.47

(iv) Indian Gorkha Ex-Servicemen's Welfare Fund

(aa) Balance in Savings Bank Account Rs. 74,083.79

(ab) Fixed Deposits with Banks Rs. 8,00,000.00

(ac) Deposits with Public Sector Undertakings Rs. 23,00,000.00

Total Rs. 34,74,083.79

4. Vesting of Assets.—The assets of the Fund shall vest in the Treasurer or Charitable Endowments of India under the Scheme in accordance with section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 read with Notification of the Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs No. F. 1|28|80-TCE dated the 25th February, 1981.

5. Management of the Fund.—The Treasurer of Charitable Endowments for India shall not act in the management or administration of the Fund but subject to any general or special directions given by the Central Government, the management and administration shall be vested in the Managing Committee.

6. Managing Committee.—For the management and administration of the Fund, a Managing Committee shall be constituted consisting of :—

Chairman :—

Raksha Mantri

Vice Chairman :—

Raksha Rajya Mantri

Members :—

(1) Defence Secretary

(2) Chief of the Army Staff

(3) Chief of the Naval Staff

(4) Chief of the Air Staff

(5) Financial Advisor (DS)

(6) Additional Secretary, Min. of Defence

(7) DGAFMS

(8) Joint Secretary, Min. of Defence

(9) Director General Resettlement

(10) President, All India Gorkha Ex-Servicemen's Welfare Association, Deradun.

(11) Commander, Deradun Sub-Area.

(12) Three Ex-Service Officers (One from each service) to be nominated by the Chairman.

(15) One lady member to be nominated by the Chairman.

Special Invitees—Representative of :—

(1) FICCI.

(2) Indian Red Cross Society.

(3) Director General Health Services.

(4) Director General Employment & Training.

(5) Secretary Welfare.

Secretary Inviteees—Secretary, Kendriya Sainik Board.

7. Tenure of Membership.—(a) When a person becomes a member of the Managing Committee by virtue of the office or appointment he|she holds, his|her membership shall terminate when he ceases to hold such office or appointment.

(b) Subject to clause (a) the tenure of nominated members of the Managing Committee shall be three years provided that a member shall be eligible for re-nomination as member.

(c) A member of the Managing Committee shall cease to be such member if he resigns, becomes of un-sound mind, insolvent, convicted of a criminal offence involving moral turpitude or is transferred from his present office by vitue of which he was so appointed.

(d) A resignation of membership shall be tendered to the Chairman of the Managing Committee and shall not take effect until it is accepted on behalf of the Commitee by the Chairman; and

(e) Any vacancy in the Managing Committee caused by any of the above mentioned reasons or by death shall be filled by nomination by the Chairman.

8. Use of the Fund.—It shall be lawful for the Managing Committee to expand the moneys in the fund for the objects of the fund as mentioned above.

9. Application of the Fund.—Subject to the provisions of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Managing Committee shall have the power to control and administer the Fund and to

invest the same or any part thereof as it may consider necessary having regard to the objects of the fund.

10. Conduct of Business.—(i) The Managing Committee may meet for the conduct of business adjourn and otherwise regulate its meeting and proceedings as may be determined by the bye laws to be framed by the said Committee ,

(ii) The quorum for a Meeting of the Managing Committee shall be 3 members personally present at the Meeting and meeting of the Managing Committee at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the functions of the said Committee ;

(iii) The meeting shall be presided over by the Chairman or in his absence by the Vice-Chairman of the Managing Committee. In case the Chairman and the Vice-Chairman are not present in a meeting, it shall be presided over by an official member elected at the meeting;

(iv) Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting;

(v) The Members Secretary shall have no right to vote; and

(vi) In case of equality of votes the matter shall be decided according to the casting vote of the Chairman of the Committee of meeting, as the case may be.

11. Notice of the Meeting.—(a) Normally fifteen days notice shall be given for the convening of ordinary meetings of the Managing Committee; and

(b) Emergency Meetings may, however, be called at any time without prior notice, at the discretion of the Chairman of the Managing Committee.

12. Appointment of Sub-Committee.—(a) The Managing Committee, for the purpose of implementing its policies, may appoint an Executive Committee from amongst its members.

(b) It may also appoint one or more Advisory Committee from amongst its members or their representatives or such persons including non-officials, as may be co-opted a members or advisers, to scrutinise schemes or other proposals for assistance from the Fund and submit them with its recommendations to the Managing Committee and to advise the Managing Committee on other matters connected with the administration of the Fund.

13. Contracts.—All contracts and other assurances shall be in the name of the Managing Committee and signed on its behalf by the Secretary, Kendriya Sainik Board.

14. Members of the Managing Committee not Entitled to Remuneration.—Members of the Managing Committee shall not be entitled to any remuneration.

15. Appointment of Staff.—Such staff as the Managing Committee may consider necessary shall be appointed by the Managing Committee and their remuneration and the terms of appointment shall be fixed by the Managing Committee. The expenditure on such staff shall be met from the Fund.

16. Deposit and Investment of Moneys.—The Funds will be invested in appropriate trustee securities, or in the State Bank of India, or in any Nationalised Bank, or in a Public Sector Undertaking.

17. Operation of Accounts.—The accounts of the Fund shall be operated jointly by the Secretary of the Fund and Director General Resettlement, Ministry of Defence, on behalf of the Managing Committee of the Fund.

18. Accounts and Audit.—(1) The regular accounts shall be kept of all moneys and properties belonging to the fund and shall be audited by firm of Chartered Accountants or any other recognised auditor, as may be appointed by the Managing Committee.

(2) The Auditor shall inter-alia also certify that the expenditure from the Fund has been correctly incurred in accordance with the objects of the Fund for the regulation and management of the Fund.

(3) Copies of the Annual Accounts of the Fund duly audited and certified by the auditors of the Fund shall be submitted to the Managing Committee every year.

19. Periodical Reports.—Annual Report showing the schemes financed from the Fund, and the annual audited statement of accounts shall be rendered to the Managing Committee of the Fund by the Member Secretary of the Fund after the close of the financial year, but not later than six months thereafter.

20. Receipt of Additional Endowments.—The Managing Committee may receive any additional endowments, donations or other contributions in augmentation of the moneys and properties of the fund or for general purposes of the Fund. It may also receive endowments, donations or other contributions for any special purpose connected with this Scheme not inconsistant with or calculated to impede the due working of the provisions of this Scheme.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993